



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

231]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 1978/श्रावण 18, 1900

231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1978/SRAVANA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त 1978

क्रा० फा० नि० 397.—(अ)केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1978 है।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 1.3 ये नियम बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारियों को और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे सेवकों और अन्य उपक्रमों के ऐसे पदाधारियों को लागू होंगे, जो तेल उद्योग विकास बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

परिभाषाएं

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक" से दिल्ली में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर, जहाँ बोर्ड का कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, एलोपैथी पद्धति का ऐसा रिजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है,

जिसे बोर्ड के कर्मचारियों और उनके कुटुम्बों के अन्य सदस्यों के उपचार के प्रयोजनार्थ बोर्ड में नियुक्त/पैनलित या इस प्रकार मान्यता दी है।

- (ख) "अस्पताल"—से कोई सरकारी या प्राइवेट अस्पताल परिचर्या-गृह अभिप्रेत है।
- (ग) "बोर्ड"—से तेल उद्योग विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (घ) "चिकित्सीय परिचर्या"—से वह परिचर्या अभिप्रेत है, जो अस्पताल में या कर्मचारियों के निवास पर हो, जिसमें निदान के प्रयोजनार्थ परीक्षा की विद्युत विज्ञान संबंधी, जीवाणु-विज्ञान संबंधी एक्स चिकित्सात्मक या अन्य पद्धतियाँ सम्मिलित हैं, जो किसी अस्पताल में उपलब्ध हैं और प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक समझी जाती हैं और विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सक अधिकारी से ऐसा परामर्श जैसा कि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक प्रमाणित किया जाए और ऐसे विस्तार तक तथा ऐसी रीति में जैसी कि विशेषज्ञ या चिकित्सक अधिकारी, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से परामर्श करके, अवधारित करे;
- (ङ) "बोर्ड का कर्मचारी"—से बोर्ड का कोई नियमित कर्मचारी तथा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (च) "रोगी"—से बोर्ड का कोई ऐसा कर्मचारी (जिसमें उसका कुटुम्ब के सदस्य भी सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है, जिसे ये नियम लागू होते हैं ;

(छ) "अनुसूची"—से अननुज्ञेय दवाइयों की वह अनुसूची अभि-
प्रेत है जो, समय-समय पर यथा संशोधित, केन्द्रीय सेवा
चिकित्सीय परिचर्या नियम, 1974 का अंश है ;

(ज) "उपचार"—से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी उन
सभी सुविधाओं का प्रयोग अभिप्रेत है जो उस अस्पताल
में उपलब्ध हैं, जिसमें रोगी का उपचार किया जाता
और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) ऐसी विद्वत् विज्ञान संबंधी, जीवाणुविज्ञान संबंधी,
एवम चिकित्सात्मक या अन्य पद्धतियों का उपयोग
जसा प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा आवश्यक
समझा जाए;

(ii) ऐसी औषधों, टीकों, सरियों या अन्य चिकित्सा
पदार्थों का प्रदाय जैसे कि प्राधिकृत चिकित्सीय
परिचारक अरोग्यलाभ के लिए या रोगी की हालत
में गंभीर हास की रोकथाम के लिए लिखित में
आवश्यक प्रमाणित करे। किन्तु नीचे उल्लिखित
मदों को छोड़कर, अर्थात् :—

(1) ऐसी निमित्तियाँ, जो औषधियाँ नहीं किन्तु
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्राथमिक रूप से
खाद्य, टॉनिक, प्रसाधन निमित्तियाँ या
निःसंक्रामक हैं; और

(2) अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यवान दवाइयों,
टॉनिक, रेचक और अन्य उत्तम और एकायत
औषधि निमित्तियाँ, जिनके लिए समान चिकि-
त्सीय मूल्य की दवाइयाँ उपलब्ध हैं।

टिप्पण—1 इंजेक्शन प्रयोजनों के लिए सभी औषधियाँ अनुज्ञेय हैं।

टिप्पण—2 बाजार से औषधियों का क्रय करते समय कर्मचारी द्वारा
संदत विक्रय कर प्रतिदेय है। बाहर से औषधियों का क्रय
करने के लिये कर्मचारी द्वारा संदत पैकिंग और डाक-प्रभार
प्रतिदेय नहीं हैं।

(3) ऐसी वास सुविधा जिसकी व्यवस्था साधारणतया
अस्पताल में की जाती है और जो उसकी
हैसियत के अनुकूल है।

टिप्पण— सम्बद्ध कर्मचारी की हैसियत की वास सुविधा उपलब्ध न
होने की दशा में उच्चतर वर्ग की वास सुविधा आवंटित की
जा सकेगी, परन्तु यह तब जबकि यह अस्पताल के शाखाधिक
अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जा सकती हो।

(ज) "कुटुम्ब"—से कर्मचारी की पत्नी/पति, आश्रित संतान
(जिसमें सौतेली संतान भी सम्मिलित है) और पूर्णतः
आश्रित माता-पिता अभिप्रेत हैं।

टिप्पण— महिला कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन चिकित्सीय
रियायतों की प्रसुविधाएं प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ या तो
अपने माता-पिता को या सास-ससुर को सम्मिलित करने का
विकल्प प्राप्त है।

(अ) "अध्यक्ष"—से तेल उद्योग विकास बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत
है।

चिकित्सीय परिचर्या

कर्मचारी का उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य प्राधिकृत चिकित्सीय
परिचारक द्वारा मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा।

ऐसी चिकित्सीय परिचर्या के लिए उसके द्वारा संदत किसी र
की इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का लिखि
प्रमाणपत्र पेश करने पर बोर्ड द्वारा उसे प्रतिपूर्ति की जाएगी।

4.1 कर्मचारी नियमानुसार डाक्टरों से उनके क्लिनिक पर पराम
करेंगे। किसी आपात स्थिति में डाक्टर को रोगी के निवास
बुलाया जा सकता है। डाक्टर को निवास पर बुलाने की आवश
कता किसी आपात स्थिति के कारण हुई, इस बात को उपच
करने वाला डाक्टर प्रमाणित करेगा।

4.2 डाक्टर से उसके क्लिनिक पर परामर्श करने के लिए, संद
वास्तविक परामर्श फीस की, निम्नलिखित सीमाओं के अधीन र
हुए प्रतिपूर्ति की जाएगी—

प्रथम परामर्श 5 रु०
पश्चात्तत्पूर्ति तीन परामर्श 3 रु० प्रति परामर्श

4.3 किसी आपात स्थिति में रोगी के निवास पर किसी डाक्टर
प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से परामर्श करने के लिए डाक्टर
द्वारा यथा प्रभाय सामान्य फीस कर्मचारी द्वारा संदेय होगी त
डाक्टर द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र देने पर निम्नलिखि
सीमाओं तक उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी—

दिन के दौरान 10 रु० प्रति निरीक्षण (विजि
रात्रि के दौरान

(रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक) 20 रु० प्रति निरीक्षण
(विजि)

विशेषज्ञ से परामर्श

5.1 यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की यह राय है कि र
का मामला ऐसी गंभीर या विशेष प्रकृति का है कि उस
प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से भिन्न किसी व्यक्ति व
चिकित्सीय परिचर्या की अपेक्षा है तो वह—

(क) रोगी को निकटतम विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सक अधिक
के पास भेज सकेगा; या

(ख) यदि रोगी इतना अधिक बीमार है कि यात्रा नहीं कर स
है तो ऐसे विशेषज्ञ या अन्य चिकित्सक अधिकारी
रोगी की परिचर्या करने के लिए बुला सकेगा।

5.2 प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक का लिखित प्रमाणपत्र पेश करने
रोगी, यथास्थिति, विशेषज्ञ के क्लिनिक या रोगी के निवास र
को और वहाँ से यात्रा के लिए रोगी द्वारा संदत सवारी प्र
की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

5.3 विशेषज्ञ से परामर्श करने की फीस की प्रतिपूर्ति निम्नलिखि
सीमाओं तक की जाएगी—

(1) क्लिनिक पर 16 रु० प्रति निरीक्षण (विजि

(2) रोगी के निवास स्थान 20 रु० प्रति निरीक्षण (विजि
पर

(3) रात्रि के दौरान रोगी के 40 रु० प्रति निरीक्षण (विजि
निवास स्थान पर

टिप्पण— ऐसे कर्मचारियों को, जिनका नेतन प्रति मास 1600
और उससे अधिक है, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक
कोई निर्देश प्राप्त किए बिना विशेषज्ञों से सीधे परामर्श
का प्राधिकार प्राप्त है।

टिप्पण— 2. ऐसे कर्मचारी, जिनका वेतन प्रति मास 1600 रु० से कम सामान्यतः प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों के निर्देश पर ही विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे। तथापि, जहाँ कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य कम से कम 15 दिन तक उपचाराधीन रहा तथा प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा किए गए उपचार के रोग में कोई सुधार नहीं हुआ है, वहाँ कर्मचारी उस दशा में प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक के किसी निर्देश के बिना भी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकेगा।

6.1. उपचार करने वाला डाक्टर सामान्यतः दवाइयाँ विहित करेगा और कर्मचारी उन्हें औषधि विक्रेताओं से अधिमानतः नई दिल्ली के सुपर बाजार जैसे सहकारी अधिकरणों द्वारा संचालित औषधि-विक्रेताओं से क्रय करेगा। असाधारण मामलों में उपचार करने वाला डाक्टर किसी एक अवसर पर 5 रु० से अनधिक लागत की दवाइयाँ दे सकेगा।

टिप्पण— यह उपबंध तुरन्त चिकित्सीय सहायता की अपेक्षा करने वाले मामलों में अध्यक्ष द्वारा अपने विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

6.2. इंजेक्शन लगाने की फीस की प्रतिपूर्ति (दवाइयों की लागत से भिन्न जिसकी प्रतिपूर्ति पथक से की जाएगी) कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए निम्नलिखित सीमाओं तक की जाएगी।

(क) अन्तः शिरा इंजेक्शन 3 रु० प्रति इंजेक्शन
(ख) अन्तः पेशी गौर अवत्वक् इंजेक्शन 2 रु० प्रति इंजेक्शन

6.3. मरहम-पट्टी के प्रभावों को यदि उपचार करने वाले डाक्टर द्वारा प्रयोजित किए जाएं तो उसका प्रतिपूर्ति प्रति मरहम-पट्टी 1.50 रु० की सीमा तक की जाएगी।

अस्पताल में भर्ती

7.1. कर्मचारी और उनके कुटुम्ब के सदस्य सरकारी अस्पतालों और स्थानीय निकायों नगर निगम आदि द्वारा चलाए गए अस्पताल में जा सकेंगे और ऐसे उपचार में उसके द्वारा संदत्त रकम की बोर्ड द्वारा उसे प्रतिपूर्ति इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा लिखित प्रमाणपत्र देने पर कर ली जाएगी।

7.2. कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य प्राइवेट अस्पतालों/परिचर्या गृहों में भी दाखल हो सकता है किन्तु कक्ष-भाड़ा चिकित्सीय परिचर्या, परिचर्या औषधियाँ जिसमें इंजेक्शन और मरहम पट्टी सम्मिलित है के प्रभावों के लिए उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की, बोर्ड द्वारा उसे प्रतिपूर्ति इस निमित्त प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक द्वारा लिखित प्रमाणपत्र देने पर वास्तविक खर्च के बराबर किन्तु जो निम्नलिखित दरों से अधिक न हो की जाएगी।

वेतन रेंज	कक्ष भाड़ा	प्रसूति/प्रसव फीस)	मरहम-पट्टी/इंजेक्शन प्रभाव
400 रु० तक	25 रु०	350 रु०	नियम 6 के
401 रु० से 1000 रु० तक	40 रु०	450 रु०	अधीन विहित
1001 रु० से 1500 रु० तक	50 रु०	500 रु०	दरों पर
1501 रु० से 2000 रु० तक	60 रु०	550 रु०	
2001 रु० और उससे अधिक	100 रु०	600 रु०	

7.3. मूल्य आपरेणों एक्स-रे प्रयोगशाला और वैकृत परीक्षणों के लिए प्रतिपूर्ति वास्तविक लागत के बराबर किन्तु जो चिकित्सीय संस्थान अस्पताल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) द्वारा नियत दरों से अधिक न हो अनुज्ञात की जाएगी।

निवास पर उपचार

8.1. यदि प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की राय है कि यथास्थित अस्पताल के अभाव या दूर होने के कारण या रूग्णावस्था की गंभीरता के कारण कर्मचारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य का उपचार, जैसा नियम 7.1 में अपबंधित है नहीं किया जा सकता तो यथास्थित कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य अपने निवास पर ही उपचार करा सकता है।

8.2. ऊपर नियम 8.1 के अधीन अपने निवास स्थान पर उपचार कराने वाला कर्मचारी ऐसे उपचार के लिए अपने द्वारा उपगत खर्च की वाबत एसी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ऐसे उपचार के खर्च के बराबर हो जिसे निशुल्क प्राप्त करने का हकदार वह इन नियमों के अधीन उस दशा में होता जब उसका उपचार उसके निवास-स्थान पर न हुआ होता।

8.3. उपचार की लागत की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ चिकित्सीय परिचर्या, परिचर्या, औषधियाँ, जिसमें इंजेक्शन और मरहम-पट्टी सम्मिलित हैं, के प्रभावों को हिसाब में लिया जाएगा।

रक्ताधान

9. जहाँ रोगी को रक्त देना आवश्यक हो जाता है वहाँ उसकी लागत की प्रतिपूर्ति उपचार करने वाले डाक्टर द्वारा सम्यक्तः सत्यापित उसकी रसीद देने पर कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए, निम्नलिखित सीमाओं के अधीन रहते हुए, की जाएगी—

(क) रक्त आर० एच० पाजिटिव 75 रु० 250 सी सी की प्रति यूनिट के लिए
(ख) रक्त आर० एच० नेगेटिव 200 रु० 250 सी सी की प्रति यूनिट के लिए

दन्त उपचार

10.1. दन्त उपचार चाहे उसे प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की सलाह से ही कराया जाता है, निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगा :—

(क) निष्कर्षण
(ख) पथटीकरण और मसूड़ा उपचार
(ग) दांतों का भरना (कृत्रिम दांत की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी)
(घ) मूल नलिका उपचार।

10.2. उपर्युक्त उपचार के लिए प्रभावों की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च के बराबर, किन्तु जो चिकित्सीय संस्थान अस्पताल (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) द्वारा नियमित दरों से अधिक न हो, की जाएगी।

10.3. परामर्श फीस की प्रतिपूर्ति निम्न रूप में की जाएगी :—
प्रथम 10 रु०]
पश्चात्पूर्वती] 5 रु०]

ऐनक के लिए नेत्र दृष्टि का परीक्षण

11.1. कर्मचारी (किन्तु उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य नहीं) हर तीन वर्षों में एक बार ऐनक के लिए नेत्रदृष्टि के परीक्षण की सुविधाओं के लिए हकदार होगा। इसके लिए प्रभाव की प्रतिपूर्ति वास्तविक खर्च के बराबर, किन्तु जो 16 रु० से अधिक न हो, की जाएगी।

11.2 कर्मचारी या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य नेत्र रोगों के प्राइवेट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सी व्यवसायी से नेत्र रोगों का उपचार करने के लिए हकदार होगा। कर्मचारी द्वारा उपगत प्रभार के प्रतिपूर्ति की अनुज्ञा उन नियमों के अनुसार दी जाएगी जो अन्य रोगों की दशा में साधारण चिकित्सीय परिचर्या के लिए है।

मिसिल सं० 7(2)/78-(पा०एफ०डी०)

एस० एल० खोसला,
संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1978

G.S.R. No. 397(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Short title, extent and application.

- 1.1 These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees (Medical Attendance) Rules, 1978.
- 1.2 They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 1.3 These rules shall apply to all regular employees of the Board and to those Central Government or State Government servants and the officials of other undertakings who are on deputation with Oil Industry Development Board.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "authorised medical attendant" means any Registered Medical Practitioner of the allopathic system in Delhi or any other place, where the employee of the Board or any member of his family falls ill, appointed/empanelled or so recognised by the Board for purpose of the treatment of the employees of the Board and other members of their families.

(b) "hospital" —means any Government or private hospital/nursing home;

(c) "Board" —means the Oil Industry Development Board;

(d) "medical attendance" —means attendance in hospital or at the residence of the employees, including such pathological, bacteriological, radiological or other methods of examination for the purpose of diagnosis as are available in any hospital and are considered necessary by the authorised medical attendant and such consultations with the specialist or other medical officer as the authorised medical attendant certifies to be necessary, to such extent and in such manner as the specialist or medical officer may in consultation with the authorised medical attendant determine;

(e) "employee of the Board"

—means any regular employee of the Board as well as the persons on deputation with the Board;

(f) "patient"

—means any employee of the Board (including the members of his family) to whom these rules apply;

(g) "Schedule"

—means the Schedule of inadmissible medicines forming part of Central Services Medical Attendance Rules, 1974, as amended from time to time;

(h) "treatment"

—means the use of all medical and surgical facilities available at the hospital in which the patient is treated and includes :—

(i) the employment of such pathological/bacteriological, radiological or other methods as are considered necessary by the authorised medical attendant;

(ii) The supply of such medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances as the authorised medical attendant may certify in writing to be essential for the recovery or for the prevention of serious deterioration in the condition of the patient except the items mentioned below namely :—

(1) preparations which are not medicines but are primarily foods, tonics, toilet preparations or disinfectants as specified in schedule, and

(2) expensive drugs, tonics, laxatives and other elegant and proprietary preparations as specified in schedule for which drugs of equal therapeutic value are available.

Note—1. All medicines for injection purposes are admissible.

Note—2. Sales Tax paid by the employee, while purchasing the medicines from the market is refundable, Packing and postage charges paid by the employee for purchasing medicines from out stations are not refundable.

(iii) such accommodation as is ordinarily provided in the hospital and is suited to his status.

Note—In the event of accommodation to the status of the employee concerned being not available accommodation of a higher class may be allotted.

ed provided it can be certified by the officer incharge of the hospital.

- (i) "family" —means wife/husband, dependant children (including step-children) and wholly dependent parents of the employee.

Note— Female employees have the choice to include either her parents or her parents-in-law for the purpose of availing benefits of medical concessions under these rules.

- (j) "Chairman" —means the Chairman of the Oil Industry Development Board.

Medical Attendance

3. An employee or any member of his family shall be entitled, free of charge, to medical attendance by the authorised medical attendant. Any amount paid by him on account of such medical attendance shall, on production of a certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf shall be reimbursed to him by the Board.

- 4.1 Employees will as a rule consult the doctors at their clinic, except in an emergency when the doctor can be called at the patient's residence whether a call at the residence was necessitated by emergency will be certified by the attending doctor.

- 4.2 For consulting the doctor at his clinic, actual consultation fee paid will be reimbursed subject to the following ceilings.

First consultation	Rs. 5/-
Subsequent three consultations	Rs. 3/- per consultation

- 4.3 For consultation with a doctor or authorised medical attendant at the patients residence in an emergency, usual fee as charged by the doctor will be payable by the employee and reimbursement will be made upto the following ceilings on production of certificate duly signed by the doctor.

During day	Rs. 10 per visit.
During night (10 P.M. to 6 A.M.)	Rs. 20 per visit.

Consultation with Specialist

- 5.1 If the authorised medical attendant is of opinion that the case of a patient is of such a serious or special nature as to require medical attendance by person other than himself he may—

- (a) send the patient to the nearest specialist or other medical officer; or

- (b) if the patient is too ill to travel, summon such specialist or other medical officer to attend up on the patient;

- 5.2 On production of a certificate in writing by the authorised medical attendant the patient will be entitled reimbursement of conveyance charges paid by the patient for the journey to and from the clinic of the specialist or the residence of the patient as the case may be.

- 5.3 Fees for consultation with a specialist will be reimbursed upto the following ceiling limits.

- (1) At clinic Rs. 16/- per visit.
 (2) Patient's residence Rs. 20/- per visit.
 (3) Patient's residence Rs. 40/- per visit. during night

Note—1. Employees in receipt of pay of Rs. 1600/- P.M. and above are authorised to consult the specialists direct without any reference from the Authorised Medical Attendants.

Note—2. Employees in receipt of pay below Rs. 1600/- will ordinarily consult the specialists only on a reference from Authorised Medical Attendants. However, where an employee or a member of his family has been under the treatment for not less than 15 days and the ailment has not responded to the treatment given by authorised medical attendant the employee may in that event consult the specialist even without any reference from the authorised medical attendant.

- 6.1 The attending doctor will normally prescribe medicines and the employee will purchase the same from chemists, preferably run by cooperative agencies like Super Bazar in New Delhi. In exceptional cases, the attending doctor may supply medicines costing not more than Rs. 5/- on any one occasion.

Note— This provision may be relaxed by the Chaitman at his discretion in cases requiring urgent medical aid.

- 6.2 Fees for administering injections (other than the cost of medicines which will be reimbursed separately) will be reimbursed upto the following ceilings for all grades of employees :—

- (a) Intra-venous injections Rs. 3/- per injection
 (b) Intra muscular and subcutaneous injections Rs. 2/- per injection

- 6.3 Dressing charges, if separately charged by the attending doctor, will be reimbursed upto the ceiling limit of Rs. 1.5 per dressing.

Hospitalisation

- 7.1 Employee and family members may go to Government Hospitals and the hospital run by local bodies, municipal corporation etc., and any amount paid by him on account of such treatment shall, on production of certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf, be reimbursed to him by the Board.

- 7.2 An employee or any member of his family may also seek admission in private hospitals/nursing homes but any amount paid by him on account of charges for room rent, medical attendance, nursing, medicines including injectibles and dressings shall, on production of certificate in writing by the authorised medical attendant in this behalf, be reimbursed to him by the Board at actuals but not exceeding the following rates :—

Pay Range upto	Room Rent	Maternity (confinement fee)	Dressing/ injection charges
upto Rs. 400/-	Rs. 25/-	Rs. 350/-	At rates prescribed under rule 6
Rs. 401 to Rs. 1000/-	Rs. 40/-	Rs. 450/-	
Rs. 1001 to Rs. 1500/-	Rs. 50/-	Rs. 500/-	
Rs. 1501 to Rs. 2000/-	Rs. 60/-	Rs. 550/-	
Rs. 2001 and above	Rs. 100/-	Rs. 600/-	

- 7.3 For surgical operations X-rays, Laboratory and pathological tests, reimbursement will be allowed at actuals but not exceeding the rates fixed by the Medical Institute Hospital (A.I.I.H.S.)

(d) 7.4 read

(e) 7.5 read

Treatment at Residence

8.1 If the authorised medical attendant is of opinion that owing to the absence of remoteness of suitable hospital or to the severity of the illness, an employee or any members of his family can not be given treatment as provided in rule 7.1 the employee or any member of his family, as the case may be, may receive treatment at his residence.

8.2 An employee receiving treatment at his residence under rule 8.1 above shall be entitled to receive towards the cost of such treatment incurred by him a sum equivalent of the cost of such treatment as he would have been entitled to receive under these rules if he had not been treated at his residence.

8.3 For the purpose of reimbursement of cost of treatment, the charges for medical attendance, nursing, medicines including injectibles and dressing shall be taken into account.

Blood Transfusion

9. Where it becomes necessary to give blood to the patient cost thereof will be reimbursed on production of the receipt for the same duly verified by the attending doctor subject to following ceilings for all grades of employees

- (a) Blood R.H. Positive Rs. 75/- per unit of 250 cc
(b) Blood R.H. Negative Rs 200/- per unit of 250 cc

Dental Treatment

10.1 Dental treatment even when it is obtained under the advice of authorised medical attendant shall not be reimbursible except in the following cases :—

- (a) Extraction
(b) Scaling and gum treatment
(c) Filling of teeth (cost of denture will not be reimbursed)
(d) Root canal treatment.

10.2 Charges for the above treatment shall be reimbursed at actuals but not exceeding the rates fixed by the Medical Institute Hospital (All India Institute of Medical Sciences).

10.3 Consultation fee shall be reimbursed as under :—

First	Rs. 10/-
Subsequent	Rs. 5/-

Testing of eyesight for glasses.

11.1 An employee (but no member of his family) shall be entitled to facilities for testing of eyesight for glasses once in every three years. Charges for this shall be reimbursed at actuals but not exceeding Rs. 16/-.

11.2 An employee or any member of his family shall be entitled to treatment of eye diseases from a private registered medical practitioner of eye diseases. Reimbursement of charges incurred by an employee shall be allowed as per rules for the general medical attendance in case of other diseases.

[File No. 7(2)/78-PFD]

S.E. KHOSLA,
Joint Secretary & Financial Adviser.

12